रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245503
CG-DL-E-28042023-245503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945
No. 260]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 322(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ज) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, लागू और प्रारंभ होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 है। (2) ये राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—**(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, के सिवाय,-

क. "अधिनियम'' से राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत है ;

ख. "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अभिप्रेत है ;

ग. "कृषक" से खेती या कृषि उपज भूमि का स्वामी या अधिभोगी या काश्तकार अभिप्रेत है ;

घ. “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय प्रतिकार का अधिरोपण.—आयोग निम्नलिखित दरों पर पराली जलाने वाले कृषकों पर पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित और संगृहीत कर सकता है, अर्थात् :--

(क) दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषक, दो हजार पांच सौ रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे ;

(ख) दो एकड़ या उससे अधिक किन्तु पांच एकड़ से कम भूमि वाले कृषक पांच हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे ;

(ग) पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले कृषक पन्द्रह हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर का संदाय करेंगे ।

4. पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर का संग्रहण.—(1) पर्यावरणीय प्रतिकर, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यथाविनिर्दिष्ट चालान के रूप में कृषक से संगृहीत किया जाएगा ।

(2) कृषक चालान जारी होने की तारीख से तीस दिनों से अनधिक की अवधि के भीतर इन नियमों के अधीन चालान के अनुसार राशि का भुगतान करेगा ।

(3) यदि कृषक उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर चालान राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, आयोग, कृषक से सम्यक् रूप में देय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाण पत्र तैयार करेगा और यथास्थिति, इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को चालान के रूप में प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित करेगा ।

(4) उपनियम (4) में निर्दिष्ट अधिकारी, प्रमाण पत्र की और चालान के रूप में प्राप्त होने पर, कृषक से उसमें निर्दिष्ट राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया अपनाएगा, जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया हो ;

(5) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का अधिकारी संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र में प्रचलित भू-राजस्व रिकॉर्ड का रखरखाव करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा रिकॉर्ड कृषक के विरुद्ध लाल प्रविष्टि के साथ चिन्हित किया गया है, जहां पराली जलाने की घटना से पराली जलाने की सूचना प्राप्त हुई है या इस बात का प्रमाण है कि भूमि में पराली जलाने की घटना घटित हुई है ।

(6) इस नियम के अधीन संगृहीत एकत्रित पर्यावरणीय प्रतिकर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के खाते में जमा किया जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-15014/10/2021-सीपीए]

नरेशपाल गंगवार, अपर सचिव

प्ररूप

(नियम 3 और नियम 4 देखें)

चालान संख्या... तारीख... ../../....

<u>चालान</u>

केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 के अनुपालन में, राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग, ………… भूमि का (खसरा, खेवत और खतौनी सहित भूमि का पता) पर…तारीख और समय को कृषक अर्थात् श्री/सुश्री.......... की भूमि का दौरा किया । कृषक पराली जलाते हुए पाया गया/रिपोर्ट की गई की सूचना मिली है या इस बात का सबूत है कि उपरोक्त उल्लिखित भूमि में पराली जलाने की घटना हुई है।

कृषक का पता:
मकान नंबर :
गली :

ग्राम :

डाकघर :

तहसील :

जिला :

राज्य :

संपर्क संख्या :

कृषक की भूमि का क्षेत्रफल, जिस पर पराली जलाई गई है : (उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएँ)

(i) 2 एकड़ से कम ....

(ii) 2 से 5 एकड़ के बीच ....

(iii) 5 एकड़ से अधिक

चूंकि कृषक ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया है, अत: कृषक को चालान की तारीख से तीस दिन के भीतर "………………………" के पक्ष में नकद या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ....(केवल शब्दों में) रुपए के पर्यावरणीय प्रतिकर को जमा करने के लिए अधिरोपित और निदेशित किया जाता है।

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पद

अधिकारी की मुहर

संपर्क नंबर

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2023

G.S.R. 322(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023.

(2) They shall apply to the National Capital territory of Delhi, State of Punjab, State of Haryana and National Capital Region of Rajasthan and Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);

(b) "Commission" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas constituted under section 3;

(c) "Farmer" means the owner or occupier or cultivator of the farming or agricultural land;

(d) "Section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Imposition of environmental compensation for stubble burning.—The Commission may impose and collect environmental compensation on farmers liable for burning stubble, at the following rates, namely:-

(a) The Farmer having an area of land less than two acres shall pay an environmental compensation of rupees two thousand five hundred;

(b) The Farmer having an area of land of two acres or more but less than five acres shall pay an environmental compensation of rupees five thousand;

(c) The Farmers having an area of more than five acres shall pay an environmental compensation of rupees fifteen thousand.

4. Collection of Environmental Compensation for stubble burning.—(1) The environmental compensation shall be collected from the Farmer in the form of challan as specified in Form annexed to these rules;

(2) The Farmer shall pay the amount in pursuance of challan under these rules within a period not exceeding thirty days from the date of issuance of form of challan;

(3) If the Farmer fails to pay the challan amount within the period specified under sub-rule (2), the Commission shall prepare a certificate specifying the amount due from the Farmer and forward the certificate along with the form of challan to the officer authorised by the respective State Government or, Union territory, as the case may be, in this regard;

(4) The officer referred to in sub-rule (4) shall, on receipt of the certificate and the form of challan, shall proceed to recover the amount specified thereunder from the Farmer as if it were an arrear of the land revenue;

(5) The officer of the respective State Government or, Union territory who maintains the land revenue record as prevalent in the respective State Government or, Union territory shall ensure that such record is marked with red entry against the Farmer where from the incident of stubble burning is found or reported to burn stubble or there is a proof to the effect that stubble burning has happened in the land;

(6) The environmental compensation collected under this rule shall be deposited in the account of respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.

[F. No. Q-15014/10/2021-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

FORM
(See rule 3 and rule 4)

Challan No……………… Dated: ../../….

Challan

In compliance of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023 issued by the Central Government, the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas, visited the land of the Farmer namely Mr./Ms.___________________________________on (Date and Time) ________ at (Address of Land including khasra, Khewat and Khatoni number of the land___________. The Farmer was found /has been reported to burn stubble or there is an evidence to the effect that stubble burning has happened in the above noted land.

Address of the Farmer:

House No. :

Street :

Village :

Post Office :

Tehsil :

District :

State :

Contact No. :

The area of land of the farmer who has resorted to stubble burning: (tick the appropriate box)

(i) Less than 2 acres ☐ (ii) Between 2 to 5 acres ☐

(iii) More than 5 acres ☐

As the Farmer has not complied with the said rules, the Farmer is hereby imposed and directed to deposit the environmental compensation of Rupees ________________ (in words ___________________________ only), through Cash or Demand Draft in favour of "_________________________" within thirty days from the date of Challan.

Signature of inspecting officer :

Name :

Designation :

Seal of the Officer :

Contact No. :

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA